[भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग–2, खंड–3, उप खंड–(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ...2021

सा.का.नि......................(अ).– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन संवर्ग) भर्ती नियम–2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम 2021 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन काडर) भर्ती नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम–10(1) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएगें, अर्थात् :–

''10. अधिवर्षिता– (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति जिस मास में 60 वर्ष की आयु पूरी करता है उस महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा :

तथापि जिस व्यक्ति की जन्मतिथि महीने की पहली तारीख को है वह सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा।''

3. उक्त नियमों की, अनुसूची में :–

(क) (i) स्तंभ (11) में, ''पदोन्नति द्वारा'', उप शीर्षक के अधीन, तकनीकी संवर्ग उप निरीक्षक (आर्मोरर) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः–

''वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (रू0 29200–92300/–) में स0उ0नि0 (आर्मोरर) जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो और जो,–

(i) महानिदेशक विहित पूर्व प्रोन्नति या प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हो ;

(ii) चिकित्सा प्रवर्ग ''शेप–वन'' में हो; और

(iii) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।''

(ख) (i) स्तंभ (11) में, ''पदोन्नति द्वारा'', उप शीर्षक के अधीन, उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः–

''वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (रू0 29200–92300/–) में स0उ0नि0 (फिटर) जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो और जो,–

(i) महानिदेशक विहित पूर्व प्रोन्नति या प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हो ;

(ii) चिकित्सा प्रवर्ग ''शेप–वन'' में हो; और

(iii) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।''

(एफ.सं0 एम.वी–1/2021–स्था.–डीए–1(पी))

टिप्पण :– मूल नियम अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 88(अ) तारीख 5 फरवरी 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 195 (अ) तारीख 19 मार्च 2014, सा.का.नि. सं0 899 (अ) तारीख 21 सितम्बर 2016 और सा.का.नि. सं0 440 (अ) तारीख 10 जून, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।